भाग–3

योजनाएँ

3.1 कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन

विभाग में प्रत्येक वनमण्डल के 10 वर्षो की कार्य आयोजना तैयार कर वनों का प्रबंधन किया जाता है। योजना के माध्यम से कम घनत्व वाले वन क्षेत्रों में वनीकरण भी किया जाता है, साथ ही बिगडे वनों के सुधार गतिविधियॉ एवं सघन वनों में पुनरूत्पादन हेतु सहायक वन वर्धनिक कार्य, वन सीमांकन एवं अग्नि सुरक्षा कार्य कराये जाते है। जहां आवश्यक है वहां राशि की उपलब्धता अनुसार भूमि एवं जल संरक्षण किया जाता है। क्षेत्र की तकनीकी उपयुक्तता एवं आवश्यकतानुसार चारागाह एवं जलाऊ रोपण भी किया जाता है। इस हेतु कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन एवं वन विकास उपकर निधि से व्यय योजना के अन्तर्गत बजट में प्रावधान कराया जाता है।

सागौन वृक्षारोपण

बांस वृक्षारोपण

कार्य आयोजनाओं के क्रियान्वयन अन्तर्गत विगत वर्षो में कराये गये कार्यों की भौतिक एवं आर्थिक उपलब्धियों की जानकारी तालिका क्रमांक–3.1 मे दर्शित है।

तालिका क्रमांक 3.1

क्षेत्रफल हे0 में /राशि लाख रु0 में

वर्ष	कार्य आयोजनाओं के कार्यवृत्त	लक्ष्य		उपलब्धि	
		भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक
2014-2015	संरक्षण समूह	18284	59178.19	18173	53905.62
	पुनरूत्पादन समूह	161056		156109	
	पुनर्स्थापना समूह	181936		175760	
2015-2016	संरक्षण समूह	16000	45550.00	13296	28017.54
	पुनर्स्थापना समूह	160000		157065	
	अतिव्यापी समूह	72923		72923	
2016-2017	संरक्षण समूह	18016	54708.60	18016	49763.49
	पुनरूत्पादन समूह	131739		130739	
	पुनर्स्थापना समूह	158966		151861	
2017-2018	संरक्षण समूह	5870	48707.03	5870	47058.28
	पुनरूत्पादन समूह	171789		171789	
	पुनर्स्थापना समूह	93517		93517	
2018-2019	संरक्षण समूह	14570	38775.00	14570	36640.00
	पुनरूत्पादन समूह	167274		167274	
	पुनर्स्थापना समूह	169676		169676	

विभिन्न विभागीय योजनान्तर्गत किये गये पौधा रोपण कार्य का विवरण तालिका क्रमांक–3.2 मे दर्शित है।

तालिका क्रमांक 3.2

रोपण वर्ष	विभागीय रोपण (पौधों की संख्या)
2014-2015	5,97,46,827
2015-2016	4,22,11,115
2016-2017	4,51,59,156
2017-2018	5,88,39,400
2018-2019	5,43,71,563

सागौन वृक्षारोपण

3.2 अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण

इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः वन विभाग के कार्यालय भवन, वन कर्मचारियो के आवास, सामूहिक गश्ती दल के लिये चौकी, चौकी पर रहने वाले कर्मचारियों के परिवारों को आवास हेतु लाईन क्वॉटर का निर्माण कराया जाता है। इस योजना से वन प्रबंध हेतु विश्राम गृह, वनमार्ग निर्माण, पुल पुलिया, रपटा, सौर ऊर्जा, जल प्रबंध, दूर संचार, वॉचटावर, बेरियर आदि जैसी अधोसंरचना का भी निर्माण कार्य कराया जाता है। व्यय की जानकारी तालिका क्रमांक–3.3 मे दर्शित है।

तालिका क्रमांक 3.3

वर्ष	भौतिक	आर्थिक लाख रु0 में
2014-2015	544 भवन	5487.68
2015-2016	433 भवन	4653.06
2016-2017	298 भवन	3496.43
2017-2018	270 भवन	4482.45
2018-2019	307 भवन 2018–19 के प्रगतिरत्	4488.00

3. 3 दीनदयाल वनांचल सेवा योजना वर्ष 2016 से प्रांरभ हुई है।

इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत डिण्डौरी, मण्डला एवं बॅतूल जिले में कुल 78 स्वास्थ्य शिविरों में 548 वन ग्रामों से आयी हुई 1672 महिलायें तथा शिविर में उपस्थित कुल 18293 गर्भवती महिलाओं का परीक्षण किया गया, जिसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी के 4088 प्रकरण एवं 1622 गंभीर एनीमिया के मरीजों का ईलाज किया गया। मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ 03–40/2017/10–2 दिनांक 24.12.2018 द्वारा यह योजना समाप्त की गई है।

3. 4 विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएँ /परियोजनाएँ

Ecosystem Service Improvment Project(ESIP) : विश्व बैंक सहायता से वित्त पोषित परियोजना 16/08/2017 को स्वीकृत की गई है। यह परियोजना केवल मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में पायलट के रूप में स्वीकृत है। इस योजना के परिणामों के आधार पर योजना को पूरे देश में लागू किया जावेगा।

यह योजना 16.08.2017 से 31.07.2022 तक संचालित होगी। जिसमें रू. 49.27 करोड़ की राशि 100 प्रतिशत ग्रांट के रूप में प्राप्त होगी। इस योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार विश्व बैंक के समन्वय से किया जा रहा है।

इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिक तंत्र/पर्यावरण सेवाओं को बढ़ावा, भू–जल संरक्षण हेतु संधारण क्षमता को मजबूत करना एवं कार्बन स्टॉक को बढ़ाना है।

इस योजना के क्रियान्वयन में प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता से संस्थागत क्षमता में वृद्धि, वनों की गुणवत्ता में सुधार, वनों पर निर्भर समुदायों की आजीविका में सुधार, निजी एवं सामुदायिक भूमियों के भू–क्षरण में कमी लाना तथा वन–प्रबंधन, भू–प्रबंधन एवं भू उपयोग के क्षेत्र में नवीन तकनीक का समावेश होगा। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में कुल रूपये 44.15 लाख व्यय किये जा चुके हैं इस राशि की प्रतिपूर्ति भुगतान प्राप्त हो चुके हैं। वर्ष 2018–19 में रूपये 12.76 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

भाग–4

4.1 पुरस्कार :–

पुरस्कार वितरण संबंधी कार्यवाही –

1. पुरस्कार वितरण संबंधी कार्यवाही –

(अ) शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार – मध्यप्रदेश शासन ने प्रतिवर्ष वन रक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों के लिये षहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिये जाने का निर्णय लिया है। वर्ष 2001 से 2005 तक तीन वर्गो में पुरस्कार दिये गये हैं तथा 2006 से शासकीय एवं अशासकीय व्यक्तियों को व्यक्तिगत पुरस्कार पृथक–पृथक दिये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में कुल पांच वर्गों में पुरस्कार दिये जा रहे हैं। वन रक्षा एवं वन संवर्द्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था को एक लाख रूपये नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। वन रक्षा एवं संवर्द्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति (शासकीय एवं अशासकीय) को पचास–पचास हजार रूपये नगद तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार वन्यप्राणियों की रक्षा में अदम्य साहस व सूझबूझ का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति (शासकीय एवं अशासकीय) को पचास–पचास हजार रूपये नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। पुरस्कार की राशि म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ से प्राप्त होती है।

वन रक्षा, वन संवर्धन एवं वन्य प्राणी की रक्षा में उत्कृष्ट कार्य हेतु वर्ष 2011 तक निम्नानुसार पुरस्कार प्रदान किये गये हैं जिसको तालिका क्रमांक–4.1 मे दर्शित है।

तालिका क्रमांक–4.1

वर्ष	वनरक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाली संस्था	वन रक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति	वन्य प्राणियों की रक्षा में अदम्य साहस एवं सूझबूझ का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति
2009	01	अशासकीय –01 शासकीय –01	अशासकीय –01 शासकीय –01
2010	01	शासकीय–01	अशासकीय –01 शासकीय –01
2011	01	–	अशासकीय –01

(ब) बसामन मामा स्मृति वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार – मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2009 में वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण हेतु निम्न दो श्रेणियों के पुरस्कारों की घोषणा की गईः–

- विन्ध्य क्षेत्र हेतु पुरस्कार – यह पुरस्कार शासकीय तथा अशासकीय व्यक्तियों द्वारा वनों एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं वन संवर्धन के लिये प्रदर्शित की गई शूरवीरता, अदम्य साहस, उत्कृष्ट कार्य एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः रू. 2.00 लाख, 1.00 लाख तथा 50 हजार दिया जाता है। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है।

- राज्य स्तरीय पुरस्कार – निजी भूमि पर उत्कृष्ट वृक्षारोपण के लिये यह पुरस्कार दो श्रेणियों में दिया जाता है। 5 हैक्टेयर से अधिक तथा 5 हैक्टेयर से कम भूमि पर, 5 वर्ष से अधिक उम्र के उत्कृष्ट वृक्षारोपण हेतु। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः रू. 2.00 लाख 1.00 लाख तथा 50 हजार दिया जाता है।

वनों एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण में प्रदर्शित शूरवीरता हेतु वर्ष 2011 तक निम्नानुसार पुरस्कार प्रदान किये गये हैं जिसे तालिका क्रमांक–4.2 मे दर्शित है।

तालिका क्रमांक–4.2

वर्ष	विन्ध्य क्षेत्र स्तरीय पुरस्कार	राज्य स्तरीय पुरस्कार
2009	शासकीय –02 अशासकीय –03	5 हैक्टेयर से अधिक –03 5 हैक्टेयर से कम–03
2010	शासकीय –02 अशासकीय संस्था –01	5 हैक्टेयर से अधिक –02 संस्था 01 व्यक्ति 5 हैक्टेयर से कम–00
2011	शासकीय –03 अशासकीय संस्था –01	5 हैक्टेयर से अधिक –00 5 हैक्टेयर से कम –01

(स) वन खेल कुद पुरस्कार –

वन विभाग के अन्तर्गत खेलकुद प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष वृत्त स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर के आयोजन छतीसगढ राज्य (रायपुर) में आयोजित किया गया।

विजेता खिलाड़ियों को पुरूस्कार वितरण–वर्ष 2018

(द) राज्य स्तरीय जैवविविधता पुरस्कार योजना –

जैवविविधता संरक्षण को प्रोत्साहन देने एवं इस दिषा में उत्कृष्ट कार्य कर रहे व्यक्ति, अषासकीय संस्थान, जैवविविधता स्वामित्व रखने वाले शासकीय विभागों (वन, कृषि, उद्यानिकी, पषुपालन, मछली पालन एव जल संसाधन) को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेष राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वाराराज्य स्तरीय वार्षिक जैवविविधता पुरस्कार योजनावर्ष 2018 से प्रारंभ की गई है। इन पुस्कारों का वितरण अन्तर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष 22 मई को किया जायेगा। इस वर्ष 22 मई 2018 को आयोजित राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस कार्यक्रम में मध्यप्रदेष राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों में जैवविविधता पुरस्कार प्रदान किये गये।

श्रेणी	पुरस्कार	पुरस्कार राशि	विजेता का नाम
शासकीय संस्थागत	द्वितीय	प्रशस्ती पत्र एवं ट्राफी	सामान्य वन मंडल बड़वाह, जिला खरगौन
जैवविविधता प्रबंधन समिति (ग्राम पंचायत स्तर की)	तृतीय	1.00 लाख	जैवविविधता प्रबंधन समिति, ग्राम पंचायत मटकुली, जिला होशंगाबाद
अशासकीय संस्थागत	प्रथम	1.00 लाख	आस्था ग्राम ट्रस्ट, खरगौन
	द्वितीय	2.00 लाख	सुजाग्रति समाज सेवी संस्था, मुरैना (म.प्र.)
व्यक्तिगत	प्रथम	3.00 लाख	पं उदित नारायण शर्मा, छिंदवाड़ा
	द्वितीय	2.00 लाख	डॉ. डी.पी. कनौजिया, भोपाल

4.2 महत्वपूर्ण सांख्यिकी

वनों का क्षेत्रफल

मध्यप्रदेश के वनों के क्षेत्रफल, घनत्व, प्रकार आदि से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नानुसार तालिकाओं में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 4.3
देश की तुलना में मध्य प्रदेश के वन

(वर्ग कि.मी.)

	भौगोलिक क्षेत्र	वनक्षेत्र	प्रतिशत वनक्षेत्र
भारत	32,87,263	7,67,416	23.34
मध्य प्रदेश	3,08,245	94,689	30.72

(स्त्रोत–स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017)

तालिका क्रमांक 4.4
प्रदेश के वनक्षेत्रों की वैधानिक स्थिति

(वर्ग कि.मी.)

वर्गीकरण	क्षेत्रफल	प्रतिशत
आरक्षित वन	61,886	65.36
संरक्षित वन	31,098	32.84
अन्य	1,705	1.80
योग	94,689	100.00

(स्त्रोत–स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017)

भारतीय वन सर्वेक्षण (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) देहरादून द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन के आधार पर प्रदेश में विगत तीन अध्यायनों में परिलक्षित वनावरण की स्थिति की तालिका क्रमांक 4.5 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 4.5
प्रदेश के वनों का घनत्व–वार क्षेत्रफल

(वर्ग कि.मी.)

वनों का प्रकार	प्रतिवेदन वर्ष		
	2013	2015	2017
अति सघन वन	6632	6629	6563
सामान्य सघन वन	34921	34902	34571
खुले वन	35969	35931	36280
योग	77522	77462	77414
(खुला रिक्त क्षेत्र) *	17167	17227	17275

*रिक्त खुला क्षेत्र– ऐसे वन जिनका घनत्व 0.1 से कम है। इसका उल्लेख स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में नहीं है।

प्रदेश में वनों के प्रकार तथा क्षेत्रफल का विवरण तालिका क्रमांक 4.6 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 4.6
प्रदेश के वनों के प्रकार और क्षेत्रफल

(वर्ग कि.मी.)

संरचना	क्षेत्रफल	प्रतिशत
सागौन	18,332	19.36
साल	3,932	4.15
मिश्रित एंव अन्य	55436	58.49
रिक्त (खुला क्षेत्र)	16989	18.00
योग	94,689	100.00

(बांस वनक्षेत्र 13059 वर्ग कि0मी0 अतिव्यापी क्षेत्र)

भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून से प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार जिलेवार वनावरण की स्थिति परिशिष्ट क्रमांक 18 पर दी गई है।

भाग : 5

विभाग के प्रकाशन

(अ) त्रैमासिक पत्रिका ''म0प्र0 वनांचल संदेश'' जूलाई–सितम्बर 2018 प्रकाशन।

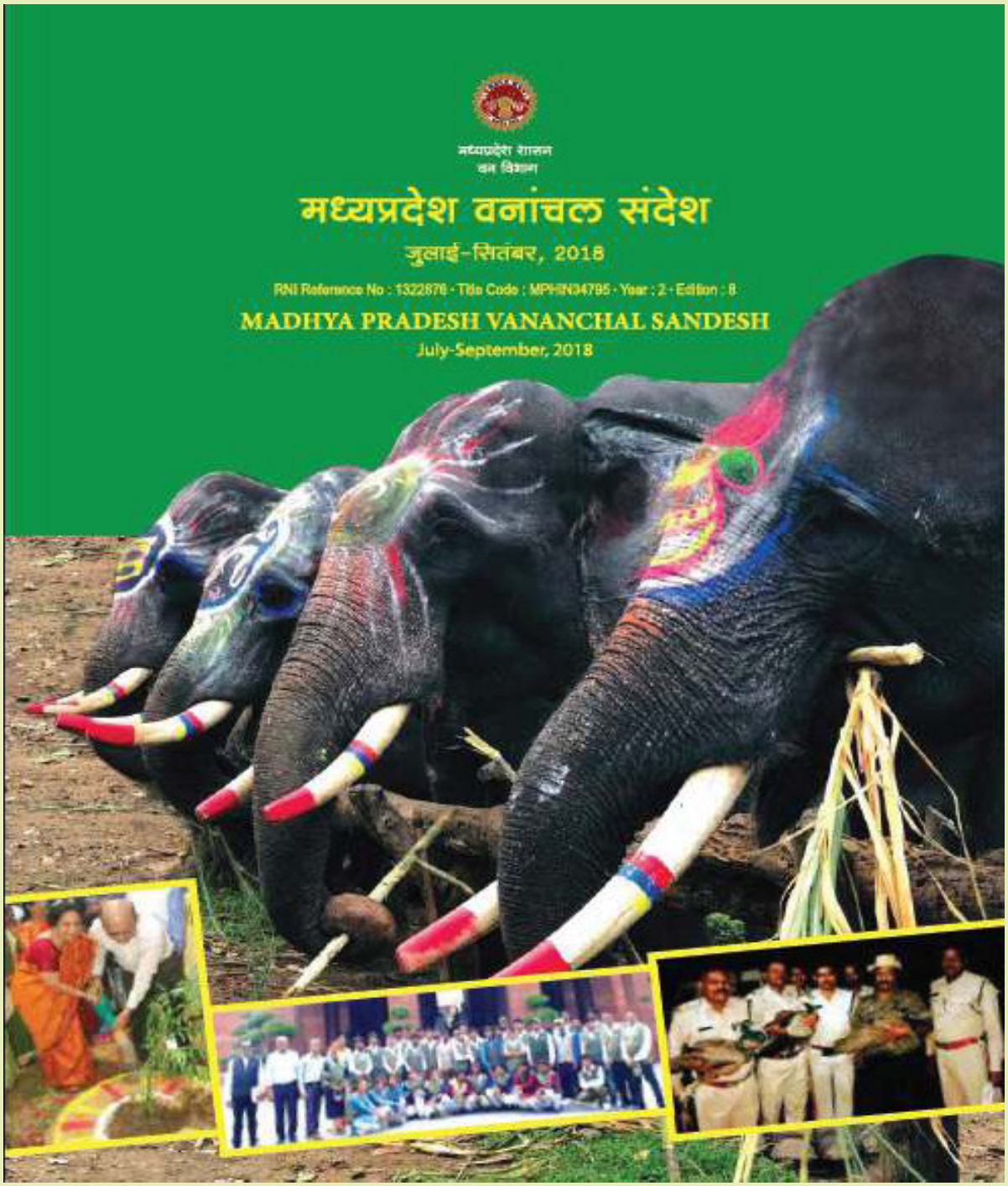

(ब) मध्यप्रदेश जैवविविधता बोर्ड के द्वारा प्रकाशन

प्रकाशन

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा समस्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी को मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का पदेन अधिकारी घोषित तथा लाभ प्रभाजन के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार के संबंध में पुस्तक ''जैवसंसाधनों तक पहुॅच व लाभ प्रभाजन दिशानिर्देश'' का प्रकाशन किया गया।
2. जैवविविधता के महत्व एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैवविविधता संरक्षण संबंधी मुद्दों के प्रतिजन मानस में संवेदनशीलता विकसित करने के उद्देश्य से 80 मिनिट की डाक्यूमेट्री फिल्म का निर्माण किया गया।

(स) मध्य प्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा प्रकाशन

संस्थान द्वारा त्रैमासिक पत्रिकाओं 'वानिकी संदेष' तथा 'वन–धन' का प्रकाशन भी किया जाता है। समय–समय पर अनुसंधान द्वारा विकसित तकनीकों के प्रचार–प्रसार हेतु पुस्तक, तकनीकी बुलेटिन, ब्रोशर एवं पेम्पलेट्स का प्रकाशन किया जाता है। संस्थान के नवीन प्रकाशन निम्नानुसार हैं:–

- साल वृक्षों की मृत्यु दर को प्रॅम्भावित करने वाले कारकों का अध्ययन एवं उनके रोकथाम के उपाय।
- आर्थिक महत्व की प्रजातियों बीजा, धावड़ा एवं अचार में होने वाले रोगों का समेकित प्रबंधन एवं तकनीक।
- महुआ प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन मार्गदर्शिका।
- सलई वृक्ष में वैज्ञानिक विधि से टैपिंग तकनीक, सतत् विनाशविहीन विदोहन, प्राथमिक प्रसंस्करण एवं भंडारण विधि मार्गदर्शिका।
- मध्यप्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख गोदों की विदोहन एवं विदोहनोत्तर तकनीक।
- वृहत् स्तर पर पौधा रोपण कैसे करें।
- जैविक खाद एवं नीम खली वानिकी प्रजातियों के पौधों की वृद्धि में लाभदायक।
- कृषि वानिकी पद्धति के अंतर्गत गेहूँ के साथ क्लोनल यूकेलिप्टस रोपण : लागत एवं आय।
- कट रूट स्टाक विधि : लेन्टाना उन्मूलन की नई तकनीक।
- बाघ, सह–परभक्षी, चौपायों एवं उनके वासस्थल का अनुश्रवण हेतु मार्गदर्शिका।
- हमारी कंद संपदा : मध्यप्रदेश में पायी जाने वाली कंद प्रजातियों की पहचान एवं विवरण।
- प्रशिक्षण तथा संगोष्ठियों के माध्यम से हितग्राहियों को नवीन वानिकी अनुसंधान तकनीकों का क्षेत्रीय स्तर पर हस्तांतरण।